पत्रांक– FW-1719/42/2022-SEC_9- 4153

बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

(निबंधन)

प्रेषक :

डॉ0 संजय कुमार,
उप निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक,
सभी जिला अवर निबंधक,
सभी अवर निबंधक/संयुक्त अवर निबंधक।

पटना, दिनांक– 08.07.26

विषयः – विभागीय कार्यप्रणाली को सुगम, पारदर्शी एवं जन–केंद्रित बनाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने, उसे जनोन्मुख बनाने, बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने तथा आम जनता की शिकायतों का त्वरित निष्पादन करते हुए विभागीय सेवाओं को जन–केंद्रित बनाने हेतु निम्न कार्रवाई की जानी अपेक्षित है–

1. निबंधन कार्यालयों के बाहर और अन्दर बड़े अक्षरों में बोर्ड पर विभागीय टॉल फ्री नं0– 14544, 18003456022 एवं 0612–2910019 को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय।
2. निबंधनार्थियों के लिए सभी निबंधन कार्यालयों में सीधे मुख्यालय में कॉल करने की व्यवस्था की जाय, जिसके माध्यम से भ्रष्टाचार, बिचौलियों और दस्तावेज निबंधन में होने वाले परेशानी से संबंधित प्राप्त शिकायतों का त्वरित रूप से पंजीकरण कर समय–सीमा निर्धारित करते हुये उक्त शिकायत का निवारण किया जाय।
3. निबंधन कार्यालयों में पदाधिकारियों का मोबाईल नं0 पदानुक्रम (अवर निबंधक/जिला अवर निबंधक/प्रमंडलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक/उप निबंधन महानिरीक्षक) के अनुसार सुगोचर स्थान पर प्रदर्शित किया जाय।
4. निबंधनार्थियों की समस्या को निबंधन पदाधिकारियों एवं उच्च अधिकारियों के समक्ष रखने हेतु निबंधन कार्यालय में अवस्थित प्रतीक्षालय कक्ष में Interactive Panel की व्यवस्था की जाय, ताकि Interactive Panel द्वारा निबंधनार्थी अपनी समस्या को उचित माध्यम (अवर निबंधक ⇨ जिला अवर निबंधक ⇨ प्रमण्डलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक ⇨ विभागीय कॉल सेंटर) के यहाँ रख सकें।
5. निबंधन कार्यालयों में QR Code युक्त पोस्टर प्रदर्शित किया जाय, जिसे स्कैन करके आम जन सीधे सरकारी निबंधन पोर्टल पर पहुँच सके। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–1294 दिनांक–25.02.2026 (संलग्न) द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत है, जिसका अक्षरशः पालन किया जाय।
6. निबंधन कार्यालयों में एलईडी स्क्रीन (LED Screens) के माध्यम से 1–2 मिनट की निबंधन प्रक्रिया से संबंधित ज्ञानवर्धक शॉर्ट वीडियो या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित की जाय।
7. प्रमुख बाजारों एवं हाटों में लाउडस्पीकर के माध्यम से ई–निबंधन प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित ऑडियो घोषणा की जाय।
8. सभी निबंधन कार्यालयों के मुख्य स्थान यथा– निबंधन कक्ष, काउंटर, प्रवेश/निकास द्वार, अभिलेखागार, प्रतीक्षालय एवं ब्लाइंड स्पॉट की निगरानी हेतु सीसीटीवी कैमरा

अधिष्ठापित किया जाय तथा सुरक्षा और जाँच के लिए न्यूनतम 90 दिनों का वीडियो बैकअप सुरक्षित रखा जाय।

9. निबंधन कार्यालयों के सूचना–पट्ट पर मुद्रांक दर, निबंधन शुल्क, आदेशिका एवं तलवाना, दस्तावेज लेखन की दर, अनुज्ञप्ति प्राप्त दस्तावेज नवीसों एवं मुद्रांक विक्रेताओं की सूची प्रदर्शित की जाय।
10. रोक सूची एवं सड़कों के वर्गीकरण की सूची जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित किया जाय।
11. सहायक निबंधन महानिरीक्षक अपने प्रमंडल अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालयों में प्रत्येक दिन विगत दिवस में निबंधित दस्तावेजों के पक्षकारों से मोबाईल के माध्यम से संपर्क स्थापित कर निबंधन कार्यालयों के क्रिया–कलाप से संबंधित प्रतिक्रिया (Feed back) प्राप्त करेंगे तथा इससे संबंधित प्रतिवेदन विभाग को प्रेषित करेंगे। इस हेतु सभी प्रमंडलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक को अधीनस्थ निबंधन कार्यालयों का ऐक्सेस (Access) प्रदान किया जायेगा।
12. मुख्यालय स्तर पर भी न्यूनतम दस कार्यालयों में पूर्व निबंधित दस्तावेजों के पक्षकारों से प्रतिक्रिया (Feed back) प्रत्येक दिन प्राप्त किया जायेगा।
13. निगरानी विभाग का हेल्प लाईन नम्बर 0612–2215344 के साथ ही संबंधित जिला स्तरीय निगरानी कोषांग का हेल्प लाईन नम्बर एवं संपर्क नम्बर सभी कार्यालयों में प्रमुखता से सुगोचर स्थान पर प्रदर्शित किया जाये, जिससे निबंधनार्थी जनता निबंधन कार्यालय में अवैध लेन–देन की शिकायत दर्ज करा सके।
14. कार्यालय परिसर, कार्यालय के सभी कक्षों एवं प्रतीक्षालय की साफ–सफाई एवं पर्याप्त रौशनी की व्यवस्था की जाय। साथ ही आंगतुकों हेतु स्वच्छ पेयजल एवं पुरूष तथा महिला के लिए अलग–अलग शौचालय की व्यवस्था की जाय।
15. आंगतुकों के लिए आगंतुक पंजी एवं पर्ची की व्यवस्था की जाय। निबंधन कार्यालय में आने वाले आंगतुकों से निबंधन पदाधिकारी स्वयं मिलेंगे एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हुए आदरपूर्वक बैठने का आग्रह करेंगे तथा उनकी समस्याओं, सुझावों, शिकायतों को सुनेंगे एवं तत्काल उनका निराकरण करने हेतु उचित कदम उठाएंगे।
16. सेवा प्रदाता (Service Provider) के लिए कार्यालय परिसर में आवश्यक सुविधाओं यथा–स्वच्छ पेयजल, शौचालय, पर्याप्त रौशन आदि के साथ अलग से प्रतीक्षालय (Waiting Hall) की व्यवस्था की जाय।

अतः निदेशित किया जाता है कि उक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(डॉ0 संजय कुमार)
उप निबंधन महानिरीक्षक
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– FW-1719/42/2022-SEC_9-4153 पटना, दिनांक 08.07.26

प्रतिलिपिः– विभागीय आई0टी0 मैनेजर/प्रोजेक्ट मैनेजर, टेरासिस टेक्नोलॉजी लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि सभी प्रमंडलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक को अधीनस्थ निबंधन कार्यालयों का ऐक्सेस (Access) प्रदान किया जाय।

उप निबंधन महानिरीक्षक
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– FW-1719/42/2022-SEC_9-4153 पटना, दिनांक 08.07.26

प्रतिलिपिः– उप निबंधन महानिरीक्षक/सहायक निबंधन महानिरीक्षक (मुख्यालय)/जिला अवर निबंधक (मुख्यालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप निबंधन महानिरीक्षक
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– FW-1719/42/2022-SEC_9-4153 पटना, दिनांक 08.07.26

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

उप निबंधन महानिरीक्षक
बिहार, पटना।

पत्रांक– FW-1725/14/2025-SEC_9-1294 /2026

बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

प्रेषक,

डॉ० संजय कुमार,
उप निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक,
सभी जिला अवर निबंधक,
सभी अवर निबंधक

पटना, दिनांक– 25.02.26

विषयः– **विभाग के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अनिवार्य रूप से जुडने एवं आम नागरिकों को जोडने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग द्वारा पारदर्शिता, सूचना के त्वरित प्रसार एवं जनसंपर्क सुदृढीकरण उद्देश्य से विभाग के अधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यथा Youtube, Facebook, X.COM, Instagram एवं WhatsApp इत्यादि संचालित किये जा रहे है। इन प्लेटफॉर्म पर विभागीय कार्यों, अधिसूचनाओं, नवाचार, निबंधन प्रक्रिया में सुधार एवं जनहितकारी संदेश उपलब्ध है। उक्त के आलोक में निम्नवत् कार्रवाई तत्काल प्रभाव से की जानी है:–

1. सभी निबंधन पदाधिकारी एवं अधीनस्थ कर्मी विभाग के सभी अधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते है।
2. प्रत्येक निबंधन कार्यालय में QR Code युक्त Poster/Banner को मुख्य प्रवेश द्वार, Help Desk एवं प्रतिक्षालय में स्पष्ट रूप से प्रर्दशित किया जाय।
3. निबंधन कार्यालय में आने वाले प्रत्येक पक्षकार/आगंतुक इसे स्कैन कर विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और विभाग के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अतः उक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित QR Code संलग्न कर भेजा जा रहा है। सभी प्रमण्डलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक निबंधन कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में भी इसे अंकित करेंगे।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

(डॉ० संजय कुमार)
उप निबंधन महानिरीक्षक
बिहार,पटना।

ज्ञापांक– FW-1725/14/2025-SEC_9-1294 पटना, दि0– 25.02.25

प्रतिलिपि–सभी समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निबंधन महानिरीक्षक के प्रधान आप्त सचिव को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

उप निबंधन महानिरीक्षक
बिहार, पटना।

25.02.26

ज्ञापांक– FW-1725/14/2025-SEC_9-1294 पटना, दि0– 25.02.26

प्रतिलिपि–विभागीय सहायक निदेशक –सह– जिला सम्पर्क पदाधिकारी/विभागीय आई0 टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप निबंधन महानिरीक्षक
बिहार, पटना।
25.02.26

ac
रमेश जी